

(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खण्ड-4 में प्रकाशित)
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 110

नई दिल्ली 23 मई, 2011

शुद्धि-पत्र

(अप्रैल, 2011 के 2 रे दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने कोलकाता पत्तन न्यास से अपने दरमान के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव पर मामला संख्या टीएएमपी/6/2010- केओपीटी के संबंध में एक आदेश 29 नवंबर, 2010 को पारित किया था। इस आदेश को भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III खण्ड- 4 में अधिसूचना संख्या 30 के माध्यम से 15 फरवरी, 2011 को अधिसूचित किया गया था।

2. यह देखा गया है कि 15 फरवरी, 2011 को अधिसूचित दरमान और उनके शर्तबंदियों में कुछ त्रुटियाँ हुई हैं। त्रुटियाँ और दोष-सुधार के ब्यौरे विस्तृत रूप से निम्नलिखित हैं:

| क्र. सं. | खंड संख्या | जैसा अधिसूचना में प्रकाशित हुआ है। | जैसा निम्नानुसार पढ़ा जाए। |
|----------|---------------------|---|---|
| 1. | खंड 3(iii) | जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, यदि पत्तन उपस्कर उपयोग में लाया जाता है तो ----- ----- खंड 17.1 में विनिर्दिष्ट उपस्कर प्रभार यथास्थिति लगाया जाएगा----- ----- | जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, यदि पत्तन उपस्कर उपयोग में लाया जाता है तो ----- ----- खंड 16.1 में विनिर्दिष्ट उपस्कर प्रभार यथास्थिति लगाया जाएगा----- |
| 2. | खंड 4.1 का क्र.सं.2 | पीओएल/पीओएल से निर्मित वस्तुएँ,सीबीएफएस अथवा एनएवाई अन्य द्रव/गैस----- | पीओएल/पीओएल से निर्मित वस्तुएँ,सीबीएफएस अथवा कोई अन्य द्रव/गैस----- |

| | | | | | |
|------|---|---|---|---|--|
| | | -पोत का बंकर। | पोत का बंकर। | | |
| 3. | खंड सं.4.1 की टिप्पणी | खंड सं.4.1 के क्रं.सं.1(ख) तथा 3(ख) में विनिर्दिष्ट निम्नतर दर को धन वापसी द्वारा अनुमत किया जाएगा ----- -----पोतवार एवं भुगतान ब्यौरे के अनुसार। | खंड सं.4.1 के क्रं.सं.3(ख) में विनिर्दिष्ट निम्नतर दर को धन वापसी द्वारा अनुमत किया जाएगा-----पोतवार एवं भुगतान ब्यौरे के अनुसार। | | |
| 4. | खंड 6.1 के क्रं सं.-6(i) | उपरिलिखित सभी प्रकार के शुष्क बल्क कार्गो जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं हैं (यांत्रिक प्रणाली के जरिए जहाज से उतारे गए या पोतान्तरित /पोतान्तरित किए जाने वाले कार्गो के अलावा)(एचडीसी के बर्थ क्रमांक 2 और 8 के अलावा) | उपरिलिखित सभी प्रकार के शुष्क बल्क कार्गो जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं हैं (यांत्रिक प्रणाली के जरिए जहाज से उतारे गए या पोतान्तरित/ पोतान्तरित किए जाने वाले कार्गो के अलावा) (खंड 6.1 की क्रमांक संख्या 6(ii) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर) | | |
| 5. | खंड 15.2 की टिप्पणी | एस 16.2 के प्रयोजनार्थ राहत सामग्री का आशय होगा----- --या उनका स्थानीय वाणिज्य महादूतावास। | एस 15.2 के प्रयोजनार्थ राहत सामग्री का आशय होगा----- ---या उनका स्थानीय वाणिज्य महादूतावास। | | |
| 6. | खंड 15.6 | भारित आयात / निर्यात / खतरनाक-I कार्गो युक्त पोतांतरण कंटेनर के लिए भण्डारण प्रभार निम्नलिखित दर से वसूला जाएगा: <table border="1" data-bbox="548 1570 967 1852"> <tr> <td>अवधि</td> <td>तटीय दरें ₹ प्रति टीईयू प्रति दिन या उसके अंश में ।</td> </tr> </table> | अवधि | तटीय दरें ₹ प्रति टीईयू प्रति दिन या उसके अंश में । | भारित आयात / निर्यात / खतरनाक-I कार्गो युक्त पोतांतरण कंटेनर के लिए भण्डारण प्रभार निम्नलिखित दर से वसूला जाएगा: |
| अवधि | तटीय दरें ₹ प्रति टीईयू प्रति दिन या उसके अंश में । | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|----------|---|---|
| | | | | अवधि | तटीय दरें ₹ प्रति टीईयू प्रति दिन या उसके अंश में । |
| | | वास्तविक उतराई/प्राप्ति का पहला दिन | निःशुल्क | | |
| | | दूसरे दिन से नौवे दिन तक | 125.48 | | |
| | | दसवें दिन से पन्द्रहवें दिन तक | 250.98 | | |
| | | सोलहवें दिन से बीसवें दिन तक | 376.47 | | |
| | | इक्कीसवें दिन से तीसवें दिन तक | 752.96 | वास्तविक उतराई/प्राप्ति का पहला दिन | निःशुल्क |
| | | इकतीसवें दिन से आगे के दिनों के लिए | 1505.92 | दूसरे दिन से नौवें दिन तक | 125.49 |
| | | | | दसवें दिन से पन्द्रहवें दिन तक | 250.99 |
| | | | | सोलहवें दिन से बीसवें दिन तक | 376.48 |
| | | | | इक्कीसवें दिन से तीसवें दिन तक | 752.96 |
| | | | | इकतीसवें दिन से आगे के दिनों के | 1505.93 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|---|--|
| | | | लिए | |
| 7. | खंड क्रं.15.4 | प्राप्त करने / भरने के दिन के बाद के प्रथम दस दिन | प्राप्त करने / भरने के दिन से प्रथम दस दिन | |
| 8. | खंड 15 के लिए टिप्पणी क्रं.सं. 2 | लंबाई में 20 फीट से अधिक और 40 फीट तक के कंटेनरों पर एस.16 में विनिर्दिष्ट दरों के दोगुने पर भंडारण प्रभार लगाया जाएगा तथा लंबाई में 40 फीट से अधिक कंटेनरों पर एस 15 में विनिर्दिष्ट दरों के तीगुने पर भंडारण प्रभार लगाया जाएगा । | लंबाई में 20 फीट से अधिक और 40 फीट तक के कंटेनरों पर एस.15 में विनिर्दिष्ट दरों का दोगुणा भंडारण प्रभार लिया जाएगा तथा 40 फीट से अधिक लंबे कंटेनों पर एस 15 में विनिर्दिष्ट दरों का तीन गुणा भंडारण प्रभार लिया जाएगा । | |
| 9. | खंड 17.1 का क्रं.सं.(1) | डॉक परमिट प्रति व्यक्ति- ₹.172.80 प्रति द्विवार्षिक | डॉक परमिट प्रति व्यक्ति- ₹. 2332.80 प्रति द्विवार्षिक | |
| 10. | खंड संख्या 21.2 | कार्यरत बर्थ पर वास्तविकरूप से ठहरने की कुल अवधि के लिए परिकलित 100% बर्थ किराया प्रभार के बराबर प्रभार और बाहर निकाले गए पोतों पर एस 24.10 के अंतर्गत दरों पर “शिफ्टिंग इन” और “शिफ्टिंग आउट” के लिए स्थलान्तरण प्रभार । | कार्यरत बर्थ पर वास्तविकरूप से ठहरने की कुल अवधि के लिए परिकलित 100% बर्थ किराया प्रभार के बराबर प्रभार और बाहर निकाले गए पोतों पर एस 24.11 के अंतर्गत दरों पर “शिफ्टिंग इन” और “शिफ्टिंग आउट” के लिए स्थलान्तरण प्रभार । | |
| 11. | खंड संख्या 24.15 | एस 24.1,एस 24.4,एस 24.09 और एस 24.12 के अंतर्गत निर्धारित दरों में पोतमालिक/एजेंट/किरायेदार की विशेष माँग पर प्रदत्त अतिरिक्त टग्स/ लॉचों की सेवाओं के अलावा टग्स लॉचों | एस 24.1,एस 24.4,एस 24.09 और एस 24.13 के अंतर्गत निर्धारित दरों में पोतमालिक/एजेंट/किरायेदार की विशेष माँग पर प्रदत्त अतिरिक्त टग्स/ लॉचों की सेवाओं के अलावा टग्स लॉचों एवं जलयान | |

| | | | |
|-----|-----------------------|--|--|
| | | एवं जलयान को लंगर-खुंटें पर बाँधने /से खोलने और यथावश्यक मोड़ने की सेवाएँ, शामिल हैं। | को लंगर-खुंटें पर बाँधने /से खोलने और यथावश्यक मोड़ने की सेवाएँ, शामिल हैं। |
| 12. | खंड 31.01 | यदि किसी पोत को पत्तन की टोवेज एवं पायलटेज सेवाओं की जरूरत हो तो तटीय पोत के लिए (अंडमान के पोत को छोड़कर) एस 24.01मे विनिर्दिष्ट दर का 50% प्रभारित किया जाएगा। इसी प्रकार शिफ्टिंग के लिए भी, यदि पत्तन सेवाएँ देता है, तो तटीय पोत के लिए एस 25.11 में विनिर्दिष्ट दर का 50% प्रभारित किया जाएगा। | यदि किसी पोत को पत्तन की टोवेज एवं पायलटेज सेवाओं की जरूरत हो तो तटीय पोत के लिए (अंडमान के पोत को छोड़कर) एस 24.01मे विनिर्दिष्ट दर का 50% प्रभारित किया जाएगा। इसी प्रकार शिफ्टिंग के लिए भी, यदि पत्तन सेवाएँ देता है, तो तटीय पोत के लिए एस 24.11 में विनिर्दिष्ट दर का 50% प्रभारित किया जाएगा। |
| 13. | आदेश अनुच्छेद 16.3 | प्रशुल्क मार्गदर्शी अनुबंध करता है कि इस प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने के 30 दिन से प्रभावी होंगे----- -----जबतक कि इस प्राधिकरण द्वारा इसे विशिष्ट रूप से बढ़ाया नहीं जाता है। | प्रशुल्क मार्गदर्शी अनुबंध करता है कि इस प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क भारत के राजपत्र में अधिसूचित होने के 30 दिन समाप्त होने के बाद प्रभावी होंगे-----जबतक कि इस प्राधिकरण द्वारा इसे विशिष्ट रूप से बढ़ाया नहीं जाता है। |

(रानी जाधव)
अध्यक्षा